



2026:AHC:30192

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 2065 सन् 2026

धर्मवीर सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : मोहम्मद उमर खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद उमर खान और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 18.06.2006 को कास्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था, और उसके बाद उसे हेड कास्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। रिट याचिकाकर्ता ने सरकारी आदेश दिनांक 04.05.2010, 22.12.2011 और 17.03.2012 के अनुसार द्वितीय पदोन्नति ग्रेड वेतन के लिए 4200 रुपये के ग्रेड वेतन का दावा किया है।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पहली बार में निर्णय की आवश्यकता है।
4. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का निर्देश देने के लिए किया गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"